(भूमि नियमन/आवटंन हेतू प्रार्थना पत्र)

सूचना- प्रपत्र

प्राधिकृत अधिकारी,
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

विषय :- राजस्व ग्राम .....के आराजी नम्बर

..... कुल क्षेत्रफल वर्गफिट

.....हेक्टर..... प्रयोजनार्थ नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

हमारी समिति/हमारे भू-खण्ड/भवन के नियमन के संबंध में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है :-

1. समिति का नाम, पंजीयन संख्या, दिनांक.....(जो लागू नहीं हो तो X अन्कित करें)

या

योजना का नाम .....(यदि हो) राजस्व ग्राम ..... के खसरा नम्बर..... कुल क्षेत्रफल ..... जो की योजना के पास/सम्मिलित है। पटवार मण्डल ..... तहसील .....क्षेत्रफल .....में आवेदन/आवेदकगणों का हिस्सा .....क्षेत्रफल है।

2. समिति की वर्तमान प्रबन्धकारिणी की सूची ..... (यदि हो तो अन्कित करें)

या

बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजी के खातेदार/कब्जेदार/क्रेता (1 से अधिक हिस्सेदारों की अवस्था में सूची संलग्न करें) का नाम ..... पिता का नाम ..... एवं इसके खाते में से आवेदक/आवेदकों द्वारा क्रय किया गया रकबा .....

3. योजना का नाम.....
4. योजना की भूमि का विवरण –

(1)

ग्राम	तहसील मय पटवार मण्डल	पुराना खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा	नया खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर में	विक्रेता का नाम (अधिक विक्रेता होने की दशा में सूची सलंग्न करें)	विक्रेता का इस खसरे में कुल हिस्सा

कृपया जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न करावें एवं पुराने नम्बरों से अवाप्तिधीन भूमि का प्रकरण हो तो मिलान खसरा सलंग्न करें ।

(2) भूमि क्रय करने के दस्तावेत का
विवरण:-.....
इकरार नामें की दिनांक- .....
पंजीकृत विक्रय पत्र की दिनांक.....(चार प्रतियों में)

(इकारार नामें/पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर योजना का नाम आराजी संख्या व मौजा अन्कित करें।)

(3) योजना/भू-खण्ड/भवन हेतु क्रय की गई भूमि का ले-आउट प्लान 1 इंच बराबर 50 फीट के स्केल में एवं प्लान 1 इंच बराबर 200 फीट के स्केल में दर्शाया जावें। योजना से लगती हुई भूमि का विवरण(पडौस) भी दर्शाया जावें। (चार प्रतियों में)

(4) भूमि की स्थिति :-
भूमि अवाप्ति अधिनियम/भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम/कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम से प्रभावित है। यदि हां तो विस्तृत विवरणमय दस्तावेज पेश करें।.....
.....

(5) क्या योजना में राजकीय भूमि/सिवाय चक/वन विभाग की भूमि सम्मिलित है?यदि हाँ तो ब्यौरा देवे।
.....
.....

(6) 1.क्या भूमि के सम्बन्ध में कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित है?यदि हाँ तो विवरण देवें।
.....
2. क्या भूमि के सम्बन्ध में कोई न्यायिक प्रकरण निर्णित हुआ है। पूर्ण विवरण दें।
.....
.....

(7) योजना के सदस्यों की सूची खातेदार से क्रयकर्क्ताओं की सूची मय पिता/पति का नाम (दो प्रतियों में) अधिक नाम होने पर सूची सलग्न करें

(i) .....
(ii) .....
(सदस्य सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर राजस्व ग्राम का नाम अन्कित करें।)

(8) योजना के अनुमोदित/प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार सुविधा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति प्रप्येक सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल (नाप दर्शाया जावें) अन्कित किया जावें।
.....
.....

(9) सुविधा क्षेत्र में यदि कोई निर्माण हुआ है तो उसका विवरण अन्कित करें।
.....

(10) विशेष विवरण यदि कोई हो तो - .....
.....

(11) स्कीम क्षेत्र के काश्तकारों की भूमिका राज्य सरकार के हित में सर्मपण नामा। उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है इसमें कोई तथ्य

छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन का नाम .....

गृह निर्माण सहकारी समिति या योजना का नाम.....

खरीददार का नाम .....
पिता का नाम .....
जाति ..... डाक का पता .....
.....

संलग्न दस्तावेज:

1. प्रबन्धकारिणी समिति की प्रमाणित सूची/निर्वाचन अधिकारी की घोषणा की छायाप्रति
2.भूमि क्रय करने सम्बन्धी दस्तावेज की चार प्रतियाँ
3.योजना मानचित्र की चार प्रतियाँ
4.भूमि से सम्बन्धित राजस्व दस्तावेजात की दो प्रतियाँ
5.भूमि अवाप्ति अधिनियम/भू-स्वामियों की सम्पदाअर्जन अधिनियम/कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के संबंध में ब्यौरा एवं दस्तावेजात
6.राजकीय भूमि/सिवाय चक/वन विभाग की भूमि से सम्बन्धित ब्यौरा
7. सदस्यों की सूची दो प्रतियों में मय पिता/पति का नाम
8. भूमि के संबंध में लम्बित न्यायिक प्रकरण की विगत
9. शपथ पत्र
10.अन्य कोई दस्तावेजात

प्रपत्र -2

(10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से तस्दीक)

शपथ पत्र

मैं ..... आयु..... वर्ष.....पुत्र श्री ..... जाति ..... निवासी ..... आराजी संख्या ..... ग्राम ..... मैं से ..... का खातेदार/क्रेता हूं, सत्य व निष्ठा पूर्वक करता हूं कि-

(1) ग्राम..... आराजी संख्या ..... में से जिसका मैं ..... खातेदार/क्रेता हूं के लिए खरीद की गई .....क्षेत्रफल भूमि को ..... नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने के विरुद्ध किसी भी स्तर की न्यायालय में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी या वर्तमान में प्रभावशील नही है।

(2) मैं शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि खातेदार/क्रेता ही जिम्मेदार होंगे और इस बाबत नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का किसी प्रकार का कोई उक्तरदायित्व नही होगा।

(3) मैं शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि खातेदार की ओर से अनुमोदन हेतु नगर विकास प्रन्यास उदय्पुर को प्रस्तुत किया गया संलग्न अन्तरिम मानचित्र, नाप आदि के बाबत् पूर्ण रुप से सही है और अनुमोदन के पश्चात डिमारकेशन प्लान के नियमानुसार वांछित संशोधित मानचित्र नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा मांगने पर तत्काल प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

(4) मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि ग्राम ..... के आराजी खसरा नं. ..... रकबा ..... मैं से ..... हिस्सा/क्षेत्रफल मैंने भूमि के खातेदार से पंजीकृत विक्रय विलेख/विक्रय इकरार/पावर ऑफ अर्टोनी से क्रय किया है और मौके पर मैं काबिज हूं।

(5) मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि भूमि जिसे मैंने क्रय किया है अकृषि अर्थात ..... प्रयोजनके लिये उपयोग कर लिया है और इसी प्रयोजन से मैंने खरीदा है और मौके पर वर्तमान में ..... निर्माण किया हुआ है। मैने अकृषि प्रयोजनार्थ प्लाट काट दिये है। मौके पर सडक बना दी है/डिमारकेशन कर दिया है।

(6) मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17-6-99 एवं इस अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में यह भूमि मैं राज्य सरकार को स्वेच्छा से समर्पित करता हूं और तदनुरुप भूमि राज्य सरकार में निहीत होने में मुझे या इस भूमि के खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है और प्रार्थना करता हूं कि नगर विकास प्रन्यास के नियमानुसार भूमि का नियमितिकरण मेरे पक्ष में किया जाकर आवंटन आदेश जारी किये जाये। इस हेतु मैं निर्धारित राशि न्यास कोष में जमा कराने को तैयार हूं।

(7) मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि भूमि जिसकी नियमितिकरण की प्रार्थना की जा रही है वो किसी सार्वजनिक ट्रस्ट धार्मिक या चेरिटेबल संस्था या वक्फ/ देवस्थान के स्वामित्व या खातेदारी की नही है और यह भूमि निजी खातेदारी की है जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा हूं।

(8) मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि भूमि का पुर्नग्रहण राज्य सरकार के हकमें कर दिया जाए और ततपश्चात न्यास के नाम भूमि अन्कित होने के पश्चात भूमि का आवंटन/नियमन मेरे पक्ष में कर दिया जाए। मैं यह भी शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि भूमि राजस्थान भूमि सुधार एवं भू स्वामित्व की संपदा अर्जन अधिनियम 1963, नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एवं उपबंधित अधिनियम 1976 एवं

राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण 1973 से प्रभावी नहीं है।

(9) मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि भूमि हर प्रकार के भार व दायित्वों से मुक्त है इस खाते की भूमि या इसके किसी अंश को लेकर किसी न्यायालय में कोई वाद इसके हक, विभाजन, अधिकार, उक्तराधिकार आदि को लेकर नहीं है न ही इस पर किसी न्यायालय का कोई प्रभावी आदेश है न ही यह सम्पत्ति किन्ही दायित्व व कुर्की के अधीन है। भूमि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-97 के अनुसरण मे बाद समर्पण एवं पुर्नग्रहण नियमित किये जाने योग्य है।

मैं उक्त शपथकर्ता ईश्वर को साक्षी करके शपथ व निष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं कि उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण विवरण मेरी जानकारी व रिकोर्ड के आधार पर सही है तथा कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है और ना ही तथ्य व रिकार्ड के विपरीत कोई बात कहीं गई है। अत: ईश्वर सत्य बोलने में मेरी सहायता करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नाम .....
पिता का नाम .....
डाक का पता .....
खातेदार/क्रेता .....

प्रमाणीकरण

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के पैरा सं. 1 से 6 में अंकित समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही व सत्य अंकित करता हूं और इसमें किसी तात्विक सूचना को छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

<u>प्रपत्र – 3</u>

(75/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से तस्दीक)

<u>क्षतिपूर्ति बंध –पत्र</u>

चूंकि नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा ..... गृह निर्माण सहकारी समिति, ... के सदस्यों के लिए राजस्व ग्राम ..... (तहसील गिर्वा) की आराजी संख्या ..... क्षेत्रफल..... वर्गफीट की..... स्कीम की भूमि के नियमन आदि की कर्यवाही की जा रही है और में उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासन/अवसायक हूं।

या

राजस्व ग्राम .....(तहसील गिर्वा) आराजी संख्या ..... कुल क्षेत्रफल ..... में से..... * हिस्से का क्रेता/खातेदार हूं:और इस कारण उपरोक्त हैसियत से मैं उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी समिति या खातेदार/क्रेता की ओर से अपने आप को वचनबद्ध करता हूं कि नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा नियमन की जाने वाली कार्यवाही के परिणाम स्वरुप किसी समिति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर नगर विकास न्यास उदयपुर को किसी प्रकार की आर्थिक हानि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति नगर विकास न्यास उदयपुर को उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति/खातेद्वार/ क्रेता द्वारा की जावेगी अथवा उक्त राशि उक्त समिति/खातेदार/क्रेता से पी डी आर ऐक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।अत: यह क्षतिपूर्ति बंध-पत्र मैंने उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष*/मंत्री*/प्रशासक*/अंवसायक* या आराजी* संख्या ..... क्षेत्रफल ..... राजस्व ग्राम..... के खातेदार/क्रेता की हैसियत से निस्पादित व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित कर दिया है जो सनद रहे और वक्त जरुरत काम आए।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

दिनांक

स्थान

नाम .....

पिता का नाम .....

आयु..... जाति.....

व्यवसाय .....

पता.....

या

अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक
गृह निर्माण सहकारी समिति

1.साक्षीगण

मय सम्पूर्ण नाम पता-

1. नाम .....

पिता का नाम .....

पता .....

2. नाम .....

पिता का नाम .....

पता.....

नोट: *जो लागू न हो उसे काट दें।